

495

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :- प.3(66)नवि/03/06

दिनांक 09.09.2008

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- शहरी जमाबन्दी की राशि आवासीय दर के आधार पर लिये जाने बाबत संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.08.08 में प्रयुक्त क्षेत्र की प्रचलित नियमन दर रूपान्तरण दर के स्थान पर क्षेत्र की प्रचलित आवासीय नियमन दर/रूपान्तरण दर पढ़ा एवं समझा जावें।

भवदीय

ह0

(सुनिल कुमार शर्मा)

शासन उप सचिव